संख्या–700 / 9.1.2014–21सा / 09

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1

लखनऊः दिनांक 07 फरवरी, 2014

विषयः वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था में संशोधन/स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/ जल संस्थानो के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी) व्यवस्था अनुमन्य किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2244/नौ–1–10–21सा/2009, दिनांक 26 जुलाई, 2010 निर्गत किया गया है। इस संबंध में (वित्त वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–बे.आ.–2–2104/दस–62 (एम)/2008टीसी दिनांक 22.12.2011 द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी) की व्यवस्था का संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत्त किया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियां एवं अधिकारियों के लिये उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः 10,16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीयतथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेगें।

3. उक्त निर्णय के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2010 के प्रस्तर–2 (2)(1) निम्नानुसार संशोधित माने जायेगेंः–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लैने पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु यदि संबंधित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा पश्चात प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

G.O.V

(ख) ऐसे कार्मिक, जिन्हे 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमॅान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हे उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने के तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रोन्नतीय पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतनं अनुमन्य होगा।

(ग) ए.सी.पी. की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेलन संरचना में ग्रेड रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा।

4. शासनादेश संख्या–2244/नौ–1–10–21सा/2009, दिनांक 26 जुलाई, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत प्रभावी रहेगीं।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे..आ.2–90/दस–2013, दिनांक 30 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या– 700 (1)/नौ–1–2013, तद्दिनाक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग/ जल संस्थान उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. वित्त(वितेन आयोग) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8।
8. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2
9. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल/कम्पयूटर सेल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

G.O.V